संख्या-152/2016/1347/22-2-2016-17(137)/2015

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार, बरेली।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2016***

विषय:- सिद्धदोष महिला बन्दी अजायब बेगम उर्फ अज्जो पत्नी मो0 यासीन निवासी-मो0 मिर्धान, थाना-फरीदपुर, जिला-बरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु नवीन अभिभावक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश सं0-96/2016/567/22-2-206-17(137)/2015, दिनांक 21.07.2016 द्वारा महिला बन्दी अजायब बेगम उर्फ अज्जो पत्नी मो0 यासीन की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु अनुज्ञा प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न लाइसेन्स की प्रति में उक्त महिला बन्दी का अभिभावक उसके पति मो0 यासीन निवासी-मो0 मिर्धान, थाना-फरीदपुर, जिला-बरेली को नियुक्त किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के पत्र सं0-सी0-2010/प्रोबे0/ब0फा0 ए/2016-17 दिनांक 24.08.2016 तथा उपमहानिरीक्षक कारागार मुख्यालय के पत्र सं0-28879/प्रोबेशन-7/2016, दिनांक 31.08.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि महिला बन्दी के अभिभावक मो0 यासीन की दिनांक 28.06.2016 को मृत्यु हो गयी है तथा उसके स्थान पर महिला बन्दी के पौत्र श्री मुशीर आलम पुत्र श्री मुजम्मिल अहमद निवासी-मो0 मिर्धान, थाना-फरीदपुर, जिला-बरेली को उपयुक्त बताते हुए नवीन अभिभावक नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

2- अत: प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उपमहानिरीक्षक कारागार मुख्यालय तथा जिला मजिस्ट्रेट, बरेली की उक्त संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 21.07.2016 के साथ संलग्न लाइसेन्स फार्म-घ (डी) में महिला बन्दी अजायब बेगम उर्फ अज्जो पत्नी मो0 यासीन का "अभिभावक उसके पति मो0 यासीन" के स्थान पर "अभिभावक उसके पौत्र श्री मुशीर आलम पुत्र श्री मुजम्मिल अहमद" पढ़े जाने हेतु लाइसेन्स संशोधित किया जाता है।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 21.07.2016 के साथ संलग्न लाइसेन्स इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। लाइसेन्स की अन्य शर्तें/प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-152/2016/1347/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली को उनके पत्र सं0-सी0-2010/प्रोबे0/ब0फा0-ए/2016-17 दिनांक 24.08.2016 के संदर्भ में ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली ।
4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in